श्री जयंत मलैया

वित्त मंत्री

का

भाषण

जिसे मध्यप्रदेश शासन का बजट 2015-2016

विधान सभा में प्रस्तुत करते हुये

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2015 को दिया गया

वित्त विभाग

बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के लिये बजट पेश करने की अनुमति इस भावना के साथ चाहता हूँ -

'किरण का तीर बनकर तोड़ना है, हर तिमिर-कारा
बहानी है निखिल मरु में, अमर आनंद की धारा,
नये संकल्प हैं, नई प्रतिज्ञायें, नये अपने इरादे हैं
इस धरा में नई तरह की रोशनी भरने के वादे हैं।'

2. महोदय, मुझे अपना दूसरा और अपनी सरकार का 12वां बजट प्रस्तुत करते हुये बहुत हर्ष है। गत वर्ष जब मैंने पहला बजट पेश किया था, तब मेरे मन में थोड़ी झिझक जरूर थी कि जो स्वप्न प्रदेश के कर्मठ व सेवाभावी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश के कल्याण के लिये देखे हैं वह बजट उन्हें पूरा कर रहा है या नहीं, जो जनाकांक्षायें जनता को सरकार से हैं वह उनके आसपास है या नहीं। मुझे यह कहते हुये खुशी है कि वह बजट अपनी व्यापकता के कारण और सर्वसमावेशी स्वरूप में होने के नाते, सभी वर्गों द्वारा काफी सराहा गया। पिछले चुनाव परिणाम इस बात के प्रतीक हैं कि हमारी सरकार की जो दिशा और योजनायें तय की गई थी, उन्हें बजट प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय समर्थन देकर क्रियान्वयन करने की प्रतिबद्धता को अपार जनसमर्थन मिला है। इन सफलताओं ने हमारे उत्तरदायित्व-बोध को और गहरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश की निस्पंद पड़ी अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने के जो महाप्रयास किये गये हैं, उससे देश भर में एक नये आर्थिक आत्मविश्वास का संचार हुआ है। विकास वृद्धि दर बढ़ी है और थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मंहगाई न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। नीति आयोग के गठन से राज्यों को अनाबद्ध वित्तीय संसाधन ज्यादा

प्राप्त होने की संभावनायें बढ़ गई हैं। यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के पारदर्शी निराकरण के केन्द्र सरकार के प्रयासों से प्रदेश, वित्तीय रूप से ज्यादा समर्थ बनेगा।

3. आज 2015-16 का बजट पटल पर रखते हुये मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ क्योंकि यह उसी लोकमंगलकारी भावना का विस्तार है। इसमें उन्हीं जनभावनाओं का सम्मान है और उन्हीं सपनों को पूरा करने का प्रयास है। विकास इसका आधार है और सामाजिक सरोकार इसकी पहचान। पूर्व के अनुभवों की नींव पर आधारित यह बजट प्रस्ताव, सुखद वर्तमान और भविष्य की सुनहरी सम्भावनाओं से भरपूर हैं। स्वर्णिम मध्यप्रदेश के संकल्प के साथ हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा पूरे वेग से आगे बढ़ रही है। विविधता जिसकी पूंजी, कर्मठता जिसकी जीवन शैली और उदारता जिसके जीवन का राग हो, विकास को उसके द्वार पर दस्तक देना ही पड़ती है। मुझे सदन को यह बताते हुये खुशी है कि प्रदेश न केवल आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में निरंतर सफल रहा है, साथ ही सामाजिक सरोकारों को पूर्ण करने में भी अग्रणी रहा है। प्रदेश की अनेक योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है एवं उन्हें अन्य प्रदेशों तथा देश में भी लागू करने की दिशा में कदम उठाये गये हैं।

4. विगत लगभग छः दशकों से प्रदेश विकास और समृद्धि की जद्दोजहद में अवश्य लगा रहा परंतु बीमारू राज्य की छाया निरंतर बनी रही। मुझे यह अवगत कराते हुये गर्व हो रहा है कि प्रदेश को अब बीमारू राज्य की छाया से मुक्ति मिल चुकी है तथा प्रदेश विकास और समृद्धि के हाईवे पर निरंतर आगे बढ़ रहा है।

'चिराग होके न हो दिल जला के रखते हैं,
हम आंधियों में भी तेवर बला के रखते हैं।'

5. कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणामस्वरुप वर्ष 2013-14 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 11.08 प्रतिशत रही है और ब्याज भुगतान के दायित्व का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत नियंत्रण में है। वर्ष 2003-04 में राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भार 22.44 था जो कि वर्ष 2014-15 के लिये 6.57 प्रतिशत ही रहना अनुमानित है। मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 में कुल परादेय ऋण की राज्य सकल घरेलू उत्पाद से 35.30 प्रतिशत की सीमा निर्धारित है जबकि वर्ष 2014-15 के लिये प्रदेश का यह प्रतिशत 20.70 रहना अनुमानित है। प्रदेश पिछले दस वर्षों से राजस्व आधिक्य में है।

6. माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा में ऋण लिया गया है साथ ही ऋण के रूप में प्राप्त राशि का राज्य की विकासीय योजनाओं में उपयोग किया गया है। प्रदेश की ऋण स्थिति, निर्धारित वित्तीय मानकों के अंतर्गत है एवं ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान के लिये प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूर्णतः सक्षम है।

7. माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 को चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा मान्य करते हुये केन्द्रीय करों के विभाजनीय कोष में राज्यों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्ष 2015-16 से राज्यों को विभाजनीय कोष की 42 प्रतिशत राशि प्राप्त होगी जो अब तक 32 प्रतिशत है। इससे हमारे प्रदेश को मिलने वाली समनुदेशन की राशि में वृद्धि होगी। भारत सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसा मान्य करते हुये स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले अनुदानों में वृद्धि की है। इससे प्रदेश के स्थानीय निकायों को वर्तमान में मिल रही राशियों से अधिक राशि प्राप्त होगी। चौदहवें

वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर प्राप्त होने वाली राशियों का विस्तृत विवरण आगामी केन्द्रीय बजट की प्रस्तुति पश्चात ज्ञात हो सकेगा।

8. महोदय, वर्ष 2015-16 का यह बजट प्रदेश के युवाओं की रोजगार संभावनायें बढ़ाने तथा निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करके 'Make in Madhya Pradesh' को साकार करने के उद्देश्य से प्रेरित है। इसलिये अधोसंरचना, मानव संसाधन के कौशल विकास को धुरी मानकर यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, युवाओं, महिलाओं एवं अधिकारियों के साथ अनेक स्तरों पर चर्चा, सलाह व परामर्श के बाद तैयार इस महत्वाकांक्षी बजट वर्ष 2015-16 के विभिन्न प्रावधानों को अब मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

भाग-एक

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां

10. महोदय, किसान व खेती हमारे प्रदेश के विकास की धुरी हैं। फसलें लहलहायेंगी तो किसान समृद्ध होगा। किसान समृद्ध होगा तो उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। खेती के विकास की प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महती भूमिका रही है। गत तीन वर्षों से लगातार मिल रहे 'कृषि कर्मण अवार्ड' सम्मान और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदेश के किसानों को मिली भरपूर सराहनायें इसका प्रमाण है।

'फौलाद की मूरत पिघल सकती है, बंजर से भी रसधार निकल सकती है।
किसान अगर ठान लें कमर कसने की, कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है।'

11. हमारी सरकार ने जैविक खेती के मामले में प्रदेश को देश में अव्वल नम्बर पर लाकर खड़ा किया है। जैविक खेती को प्रोत्साहन हमारी कृषि नीति की प्राथमिकता है। आजकल बाजारों में सुन्दर, बड़े आकार के और अच्छी रंगत वाले फल विक्रय किये जा रहे हैं। रासायनिक खाद के अनियंत्रित उपयोग वाले जैनेटिकली मोडिफाइड फ्रूट्स होने से इनमें कोई स्वाद नहीं होता है। इस चुनौती का निदान जैविक खेती में ही है।

12. गुणवत्ता नियंत्रण की वर्तमान अधोसंरचना को विस्तारित करते हुये आदान गुण नियंत्रण प्रयोगशाला अंतर्गत 9 बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला एवं 6 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। विगत 12 महिनों में 2 लाख 10 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किये गये हैं। कृषि की सामयिक सलाह हेतु मोबाईल सेवाओं का उपयोग कर किसानों को एस.एम.एस. संदेश प्रसारित किये जा रहे हैं जिससे प्रदेश के सभी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कृषि प्रक्षेत्र के यंत्रीकरण में प्रदेश में हलधर योजना, यंत्रदूत योजना, निजी कस्टम हायरिंग सेंटर योजना एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान की विभिन्न योजनाओं से फार्म पावर 0.80 किलोवाट प्रति हेक्टेअर से बढ़कर 1.36 किलोवाट प्रति हेक्टेअर हो गया है।

13. प्रदेश में खरीफ 2014 में धान उत्पादन 57 लाख मीट्रिक टन तथा रबी 2014 में गेहूँ उत्पादन 203 लाख मीट्रिक टन रहना अनुमानित है। मुझे यह अवगत कराते हुए गर्व है कि सिंचाई की बेहतर सुविधायें उपलब्ध होने, 10 घंटे थ्री-फेज विद्युत प्रवाह तथा उत्कृष्ट स्तर की कृषि आदान व्यवस्थाओं के कारण हमारा प्रदेश अब देश के अन्य राज्यों की तुलना में चना तथा सोयाबीन उत्पादन में पहले स्थान पर एवं गेहूँ, सरसों तथा मसूर उत्पादन में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गेहूँ, मक्का, चना, राई-सरसों एवं सोयाबीन की उत्पादकता में प्रदेश पूर्व से ही राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। विगत वर्ष में हमारे प्रदेश की

धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली एवं कपास की उत्पादकता भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर हो गई है।

14. कृषि को अधिक लाभप्रद बनाने हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत महत्वपूर्ण योजनायें संचालित हैं। इसमें मुख्य रूप से फलों, सब्जियों, मसालों, पुष्प तथा औषधीय फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने तथा जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुये संरक्षित खेती के क्षेत्र में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का रकबा लगभग 14 लाख 67 हजार 440 हेक्टेअर है। वर्ष 2015-16 में लगभग 75 हजार हेक्टेअर रकबा बढ़ाये जाने का लक्ष्य है।

15. सस्ती कृषि साख तथा साख की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 79 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2014-15 में अब तक 28 लाख किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 12 हजार 140 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2015-16 के लिये ₹ 18 हजार करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

16. मत्स्य विक्रय को बढ़ावा देने के लिये शहरों एवं कस्बों में मछली बाजारों का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 100 मछली बाजारों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मछुआ आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 500 आवास निःशुल्क प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

17. प्रदेश के पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने एवं पशु संवर्धन तथा नस्ल सुधार के माध्यम से पशुपालन विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से पशु उपचार एवं निदान सुविधा

उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिलों में पॉलीक्लीनिक् एवं रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

18. विगत तीन वर्षों से प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर देश के प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों से अधिक रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान माह नवम्बर, 2014 तक औसत रूप से 10.25 लाख किलोग्राम दुग्ध प्रतिदिन संकलित किया गया है जो गतवर्ष इसी अवधि की तुलना में लगभग 39 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार दुग्ध संघों के टर्न ओव्हर में भी लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2014-15 में गाय एवं भैंस की देशी नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय पशु प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्रीय वीर्य संस्थान, भोपाल में गतवर्ष लगभग 18.46 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2015-16 में इसे बढ़ाकर 22 लाख किया जाना प्रस्तावित है।

19. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जिनमें पशुपालन, मत्स्यपालन, सहकारिता तथा उद्यानिकी शामिल है के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 5 हजार 231 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सिंचाई

20. महोदय, हमारे शास्त्रों में कहा है कि; **'अमृतं वै आपः' अर्थात् जल अमृत है।** इस संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि

'मेरी कोशिश यह नहीं कि, मैं किसी से प्रतिस्पर्धा के लिये बेहतर करूँ, पर यह है कि किसी के लिये बेहतर करूँ'

21. प्रदेश के दृष्टिपत्र-2018 में शासकीय स्त्रोतों से सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेअर करने एवं निर्मित क्षमता का दक्षता पूर्ण उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है।

विगत पाँच वर्षों में प्रदेश में सिंचाई की क्षमता लगभग 4 गुना हो गई है। वर्ष 2014-15 में 2 लाख 50 हजार हेक्टेअर सिंचाई क्षमता निर्मित किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2014-15 में चंबल परियोजना से 3 लाख 15 हजार हेक्टेअर, तवा परियोजना से 2 लाख 54 हजार हेक्टेअर, राजघाट परियोजना से 1 लाख 84 हजार हेक्टेअर और बाणसागर परियोजना से 1 लाख 50 हजार हेक्टेअर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। उल्लेखनीय है कि सिंचाई परियोजनाओं में नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया है। वर्ष 2014-15 में अब तक 199 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है।

22. प्रदेश की सभी मध्यम एवं वृहद परियोजनाओं में नहरों की लाइनिंग कराये जाने का निर्णय लिया गया है। बालाघाट जिले की वर्ष 1914 में निर्मित लगभग सौ वर्ष पुरानी बैनगंगा परियोजना की नहरों की लाइनिंग का कार्य प्रारंभ कराया गया है जो अगले 6 माह में पूर्ण हो जायेगा। 01 जनवरी 2014 से अब तक 64 लघु सिंचाई परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण, पुनरुद्धार एवं क्षमता वृद्धि के कार्य पूर्ण किये गये हैं। वर्ष 2014-15 में अब तक 7 परियोजनाओं में 32 हजार हेक्टेअर क्षेत्र में कमांड क्षेत्र विकास के कार्य किये गये हैं।

23. नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् हमारी सरकार द्वारा ₹ 2 हजार करोड़ लागत की महत्वाकांक्षी नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना स्वीकृत कर निर्माण एजेंसी नियत कर दी गई है। इस परियोजना से मालवा क्षेत्र में गंभीर नदी के कछार में 50 हजार हेक्टेअर भूमि सिंचित होने के साथ-साथ निकटवर्ती आबादी को निस्तार जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही खण्डवा जिले की सिहाड़ा एवं अलीराजपुर की डाबरी उद्वहन सिंचाई योजनायें प्रस्तावित हैं।

24. वर्ष 2015-16 में बानसुजारा, मोहनपुरा तथा कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य निरंतर रखा जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015-16 में 2 लाख 50 हजार हेक्टेअर सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

25. वर्ष 2015-16 में सिंचाई कार्यों के लिये ₹ 7 हजार 463 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 1 हजार 748 करोड़ अधिक है।

सड़क

26. प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में यातायात परिवहन के लिये सड़क मार्ग सर्वाधिक उपयोग में आने वाला माध्यम है। हमारी सरकार ने प्रारंभ से ही इस क्षेत्र को प्राथमिकता में रखा है जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश के सुदूर अंचल के क्षेत्र भी पारस्परिक रूप से जुड़ गये हैं। किसी समय, सड़कों का अता-पता नहीं होता था। **रास्ता किस जगह नहीं होता, सिर्फ तुमको पता नहीं होता, हमें रास्ता निकालना मालूम है,** इसी कारण आज सड़कों की अच्छी स्थिति से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता परिलक्षित हुई है जिससे प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर श्रेष्ठ स्तर पर बनी हुई है।

27. विगत वर्ष बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय सदन को यह अवगत कराया गया था कि प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों को चार-लेन, जिला मुख्यालयों को दो-लेन एवं आगामी पांच वर्षों में लगभग 19 हजार किलोमीटर की मुख्य जिला सड़कों का उन्नयन किया जायेगा। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुये खुशी है कि प्रदेश के 50 जिला मुख्यालयों को दो-लेन सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष एक सिंगरौली जिला मुख्यालय को दो-लेन से जोड़े जाने का कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण हो जायेगा। संभागीय मुख्यालयों को चार-लेन सड़क से जोड़े जाने के संबंध में राज्य स्तर की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, शेष कार्य एन. एच. ए. आई. द्वारा किया जाना है।

28. वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 2 हजार 500 किलोमीटर सड़क निर्माण, 2 हजार किलोमीटर सड़क नवीनीकरण तथा 40 पुलों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेंगे। वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 2 हजार 500 किलोमीटर नवीन सड़क निर्माण एवं 50 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। जन-निजी भागीदारी अंतर्गत ₹ 33 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।

29. वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं भवन कार्यों के लिये ₹ 5 हजार 911 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 1 हजार 644 करोड़ अधिक है।

30. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में 2 हजार 558 किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा 1 हजार 678 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में 3 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा 3 हजार 950 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिये ₹ 2 हजार 530 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

31. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल 9 हजार 109 ग्रामों को जोड़ने हेतु 19 हजार 386 किलोमीटर की 7 हजार 575 सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के सभी राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिये दिसम्बर, 2014 तक 6 हजार 412 सड़कें प्रारंभ की जाकर 5 हजार 491 सड़कें, 11 हजार 902 किलोमीटर लंबाई की निर्मित कर 5 हजार 924 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत प्रगतिरत 921 सड़कें जिनकी लंबाई 2 हजार

841 किलोमीटर है को पूर्ण करने का लक्ष्य है। वर्ष 2015-16 में इस योजनांतर्गत ₹ 261 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से लगभग 28.57 प्रतिशत अधिक है।

ऊर्जा

32. प्रदेश की जनता से किये वायदे के अनुसार 24 x 7 घंटे बिजली प्रदाय की जा रही है। दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को 2 हजार 23 लाख यूनिट, किसी भी एक दिन में अभी तक की सर्वाधिक विद्युत खपत है। इसी प्रकार दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को अभी तक की सर्वाधिक 9 हजार 832 मेगावाट मांग की आपूर्ति की गई है।

33. वर्ष 2014-15 में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से खंडवा जिले में 600 मेगावाट की श्री सिंगाजी सुपर ताप विद्युत गृह की नई ईकाई क्रियाशील की गई है। वर्ष 2014-15 में विद्युत उपलब्धता में 2 हजार मेगावाट की वृद्धि संभावित है। खंडवा जिले में श्री सिंगाजी सुपर ताप विद्युत गृह के द्वितीय चरण में 2 x 660 मेगावाट तथा बैतूल जिले में 660 मेगावाट की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह विस्तार परियोजनायें प्रस्तावित हैं।

34. विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है। इस उक्ति को ध्यान में रखते हुये समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों तथा पारेषण हानियों को कम करने के निरंतर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरुप वर्ष 2013-14 में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में लगभग 2 प्रतिशत की कमी हुई है।

35. ऊर्जा विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमीशन कंपनी तथा विद्युत वितरण कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित ऊर्जा क्षेत्र की विभिन्न

योजनाओं के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 9 हजार 704 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 1 हजार 718 करोड़ अधिक हैं।

नवकरणीय ऊर्जा

36. प्रदेश में आंकलन अनुसार नवकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से लगभग 29 हजार 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता निर्मित की जा सकती है। नवकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिये आकर्षक नीतियां लागू की गई हैं। प्रदेश को सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यों में से एक होने का केन्द्र शासन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है।

37. नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की दिसम्बर, 2014 तक कुल स्थापित क्षमता 1 हजार 44 मेगावाट है। वर्ष 2015-16 में इसे बढ़ाकर 3 हजार 733 मेगावाट किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश के रीवा जिले में 750 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

38. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट-2014 में नवकरणीय ऊर्जा की 194 परियोजनाओं में 1 लाख 13 हजार 78 करोड़ रुपये के निवेश हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

39. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 54 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं।

पेयजल

40. प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के हमारे प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 9 हजार 26 बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था की गई

है। इसी प्रकार 2 हजार 572 आँगनवाड़ियों तथा 2 हजार 421 ग्रामीण शालाओं में भी पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

41. वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से 12 समूह ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनायें प्रारंभ की गई हैं। इन परियोजनाओं की लागत ₹ 500 करोड़ है। वर्ष 2015-16 में ₹ 1 हजार करोड़ लागत की परियोजनायें प्रारंभ की जाना प्रस्तावित हैं।

42. वर्ष 2015-16 में 7 हजार 500 ग्रामीण बसाहटों में नलकूप खनन एवं 2 हजार बसाहटों में नलजल योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की 4 हजार आँगनवाड़ियो में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। छोटी-छोटी बसाहटों में क्रियान्वित नलजल प्रदाय योजनाओं को सदाजीवी बनाने हेतु उनमें सौर ऊर्जा आधारित पावर पम्पों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में ₹ 2 हजार 242 करोड़ का प्रावधान जलप्रदाय के कार्यों के लिये प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 132 करोड़ अधिक है।

नगरीय विकास एवं पर्यावरण

43. योजनाबद्ध नगरीय विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये राज्य के सभी नगरों की विकास योजना तैयार की जा रही है। 96 नगरों की विकास योजनायें तैयार की जा चुकी हैं तथा वर्ष 2015-16 में 14 नगरों की विकास योजना तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा के अनुरूप शहरों का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

44. प्रदेश के बड़े शहरों की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित योजनायें परिकल्पित की गई हैं। भोपाल एवं इंदौर शहरों में लाइट मेट्रो रेल परियोजना की प्रारंभिक कार्यवाहियां पूर्णता की ओर हैं तथा

जबलपुर एवं ग्वालियर के लिये फिजिबिलिटी स्टडी प्रारंभ की गई है। शहरी लोक परिवहन के सुगम संचालन हेतु पृथक से डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड निर्मित किया गया है।

45. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों में ₹ 1 हजार 428 करोड़ के कार्य कराये जा रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत ₹ 1 हजार 358 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द मोदी जी ने 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की है। इससे प्रेरणा लेते हुये हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन अंतर्गत 218 नगरीय निकायों में 1 लाख 77 हजार 807 व्यक्तिगत शौचालय तथा 634 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

46. दृष्टिपत्र-2018 में वर्ष 2018 तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिये 5 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय विकास की योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में ₹ 1 हजार 500 करोड़ की लागत से लगभग 60 हजार शहरी गरीबों के आवास निर्मित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजीव आवास योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में ₹ 841 करोड़ के 15 हजार 340 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अटल आश्रय योजना अंतर्गत भी ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी के कुल 10 हजार 556 आवास निर्मित किये जा रहे हैं।

47. प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसके एक अंचल में सिंहस्थ महापर्व का आयोजन प्रत्येक बारह वर्ष के अंतराल में होता है। एक ओर जहां इसका पौराणिक महत्व है वहीं यह आत्मिक शुद्धि का सुअवसर भी प्रदान करता है। वर्ष 2016 में उज्जैन में संपन्न होने जा रहे इस महापर्व के सफल एवं चिरस्मरणीय आयोजन के लिये श्रेष्ठ

व्यवस्थायें उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस आयोजन के लिये अब तक लगभग ₹ 2 हजार 500 करोड़ के कार्यों की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2015-16 में सिंहस्थ के आयोजन हेतु ₹ 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

48. प्रदेश के नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये ई-नगर पालिका परियोजना प्रारंभ की गई है। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना, स्वरोजगार तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 6 हजार 550 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 415 करोड़ अधिक है।

शिक्षा

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

49. बेहतर भविष्य की बुलंद इमारत शिक्षा की नींव पर ही खड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के विद्यार्थियों का आव्हान करना चाहूँगा कि तुम्हारे द्वारा ग्रहण की जाने वाली शिक्षा से ही व्यक्तित्व में कई सकारात्मक आयाम विकसित होंगे। प्रदेश के विद्यार्थियों में उन्नति की अपार संभावनायें हैं, बस इसके लिये कर्म, नजरिया एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

50. 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' अभियान अंतर्गत हमने प्रदेश के समस्त विद्यालयों में शौचालय निर्माण का संकल्प लिया है। वर्तमान में प्रदेश की शालाओं में 25 हजार 817 शौचालयों के निर्माण तथा 23 हजार 359 अक्रियाशील शौचालयों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार कार्य की आवश्यकता है जिस पर ₹ 552 करोड़ का व्यय भार संभावित है। इन कार्यों हेतु राज्य बजट के साथ-साथ मुख्यमंत्री स्वच्छता कोष, विधायक तथा सांसद

निधि एवं कार्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों से राशि प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

51. प्रदेश में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यापक पैमाने पर विस्तार किया गया है। वर्ष 2014-15 में 50 माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूलों में एवं 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है। वर्ष 2015-16 में 100 माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूलों में एवं 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है।

52. प्रदेश की शालाओं में अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुये वर्ष 2015-16 में 19 शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण, 50 शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों की बॉउन्ड्रीवाल तथा छात्रावास भवनों के निर्माण किये जाने का लक्ष्य है।

53. प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 15 हजार 749 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 896 करोड़ अधिक है।

उच्च शिक्षा

54. उच्च शिक्षा, ज्ञान एवं कौशल के विकास के साथ-साथ हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, समाज के स्तर को ऊपर उठाने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करती है।

'देश के नौजवान के सपने, है खुले आसमान के सपने,
छू ही लेगा एक दिन आकाश, उसने देखे उड़ान के सपने।'

55. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को अवगत कराते हुये हर्ष है कि हमारे प्रयासों से वर्ष 2014-15 में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का सकल पंजीयन अनुपात 20.04 प्रतिशत हो गया है।

56. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को परखने के लिये प्रदेश के महाविद्यालयों का नेशनल एक्रीडीटेशन काउन्सिल से मूल्यांकन कराया गया है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश के 10 महाविद्यालयों को 'ग्रेड ए', 15 महाविद्यालयों को 'ग्रेड बी' एवं 3 महाविद्यालयों को 'ग्रेड सी' में वर्गीकृत किया गया है। हमारे द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराये जाने हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत 'ग्रेड ए' महाविद्यालयों को 15 लाख, 'ग्रेड बी ' महाविद्यालयों को 10 लाख एवं 'ग्रेड सी' महाविद्यालयों को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

57. उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं उपलब्ध अधोसंरचना के सुधार हेतु राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत आगामी वर्षों में उच्च शिक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। विश्व बैंक की सहायता से भी उच्च शिक्षा में सुधार हेतु नवीन महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

58. उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 2 हजार करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 683 करोड़ अधिक हैं।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

59. कौशल, विकास की पूँजी है। हमारी सरकार द्वारा इस दिशा में नियोजित रीति से प्रदेश में उपलब्ध मानव संसाधन को उनकी रुचि एवं आवश्यकता अनुसार विभिन्न

विधाओं में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है। काम के अवसर उपलब्ध कराते हुये 'हाथों को काम और श्रम को शान' देने की दिशा में प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल विकास के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विस्तार के लिये सरकार की भूमिका एक उत्प्रेरक की है।

60. प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण के एकीकृत विकास के लिये राज्य कौशल विकास मिशन की स्थापना मध्यप्रदेश व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् के रूप में की गई है। कौशल विकास मिशन के तहत् राज्य शासन के 25 विभाग कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जिले की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चयन एवं संचालन के लिये जिला स्तरीय व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण समिति का गठन किया गया है। इन समितियों के द्वारा जिले की कौशल योजना भी तैयार की जा रही है।

61. अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के पूर्व अर्जित ज्ञान के प्रमाणीकरण के लिये राज्य शासन द्वारा 'कारीगर समृद्धि योजना' प्रारंभ की गई है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के विस्तार के लिये प्रदेश में 70 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण तथा इंस्ट्टीयूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर की स्थापना की गई है। वर्ष 2015-16 में भोपाल एवं ग्वालियर स्थित आई. टी. आई. का मॉडल आई. टी. आई. में उन्नयन तथा 25 नवीन आई. टी. आई. प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015-16 में सभी शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा 10 संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेक्टर विशेष में 'सेंटर ऑफ एक्सेलेंस' बनाया जाना प्रस्तावित है।

62. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 110 करोड़ अधिक है।

चिकित्सा शिक्षा

63. प्रदेश में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2014-15 में चिकित्सा महाविद्यालयों में एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में 230 सीटों की वृद्धि की गई है। प्रदेश में 7 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जा रहे हैं जिनमें एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम की लगभग 800 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो सकेंगी। जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशयलिटी स्वास्थ्य सेवा हेतु ₹ 450 करोड़ की लागत की परियोजनायें संचालित की जाना प्रस्तावित हैं।

64. चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 649 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 67 करोड़ अधिक है।

लोक स्वास्थ्य

65. स्वास्थ्य वह मूल तत्व है जो जीवन की सारी खुशियों को जीवन्त बनाता है। इस तथ्य को धरातल पर लाने के लिये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर विस्तारित किया जा रहा है। नागरिकों को चिकित्सा सुविधायें 51 जिला चिकित्सालय, 66 सिविल अस्पताल, 334 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 हजार 171 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 9 हजार 192 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 53 विशेष नवजात केयर इकाई, 228 नवजात स्टेबलाईजेशन इकाई, 1 हजार 296 नवजात केयर कार्नर, 316 पोषण पुनर्वास केन्द्र, 1 हजार 412 प्रसव केन्द्र एवं 48 हजार 959 ग्राम आरोग्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। बड़े चिकित्सालयों की व्यवस्था प्रबंधन हेतु पृथक से प्रबंधक संवर्ग का गठन किया गया है।

66. राज्य के सभी शासकीय अस्पतालों में सभी रोगियों को आवश्यक दवायें निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना लागू है।

इसी प्रकार 48 निःशुल्क जाँच जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से शासकीय चिकित्सा सुविधाओं के प्रति आम जनता का विश्वास बढ़ा है परिणामतः चिकित्सालयों में आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। विगत दो वर्षों में शासकीय चिकित्सालयों में आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की संख्या में क्रमशः 33.4 प्रतिशत व 85.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस की निःशुल्क व्यवस्था भी प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के लिये वर्ष 2015-16 में 324 निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।

67. शासकीय चिकित्सालयों में सूचना के आदान-प्रदान हेतु ई-हेल्थ साफ्टवेयर तथा औषधियों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्टेट ड्रग मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम लागू किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आंकलन एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर शोध के लिये जबलपुर में क्षेत्रीय जनजातीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र प्रारंभ किया गया है।

68. लोक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 4 हजार 740 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

69. समाज के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी सर्वविदित है। हमारी सरकार इस हेतु लगातार प्रयत्नशील है। हमारी सरकार के नवाचारों को न केवल दूसरे राज्यों ने बल्कि केन्द्र सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक लगभग 19 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 1 हजार 398 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

70. महिला अपराध की रोकथाम कर बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 20 जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित शौर्य दल के नवाचार को सामाजिक क्षेत्रों का स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2015-16 में चरणबद्ध रूप से प्रदेश की शेष ग्राम पंचायतों में शौर्य दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

71. ग्रामीण महिलाओं के लिये उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015-16 से तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 65 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

72. हमारी सरकार द्वारा बच्चों की समग्र सुरक्षा हेतु बेहतर कार्य किये गये हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु तैयार की गई वेबसाईट 'अनमोल एडॉप्शन एमपी डॉट इन' को भारत सरकार से ई-गवर्नेंस का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

73. हमारी सरकार ने कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु चरणबद्ध रूप से सुपोषण अभियान, आँगनवाड़ी चलो अभियान जैसे नवाचार किये हैं जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश में कुपोषण को समाप्त करने हेतु एकीकृत बाल विकास योजना को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। आँगनवाडियों में मंगल दिवस कार्यक्रम, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, विशेष आहार योजना, सबला योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता जैसी महत्वपूर्ण योजनायें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर कुशल तथा सक्षम सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकसित करने हेतु मुख्य मंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है।

74. वर्ष 2015-16 में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु ₹ 4 हजार 483 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 427 करोड़ अधिक है।

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

75. प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकास के निरंतर प्रयासों के फलस्वरुप अधोसंरचना की भूमि उर्वर हुई है जिससे विकास की फसल लहलहा उठी है एवं निवेश के लिये देश-विदेश के शीर्षस्थ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने रुचि प्रदर्शित की है। हमारी सरकार का प्रयास औद्योगिक विकास के लिये कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का है।

76. प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिये GIS-2014 का सफल आयोजन इंदौर में किया गया। समिट के दौरान औद्योगिक गतिविधियों के विकास हेतु नई उद्योग संवर्धन नीति, 2014 घोषित की गई। राज्य द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा; पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, बी.पी.ओ., लोक स्वास्थ्य, नवकरणीय ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण, ऊर्जा, वेयर हाउसिंग एवं रक्षा उत्पाद में निवेश आकर्षित करने के लिये विशिष्ट नीतियां लागू की हैं। उद्योग स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर एक ही स्थान से अनुमतियाँ जारी करने की व्यवस्था की गई है। GIS-2014 में 3 हजार 176 निवेशकों द्वारा लगभग 5 लाख 89 हजार करोड़ के निवेश हेतु रुचि प्रदर्शित की गई है।

77. उद्योगों की स्थापना के लिये विश्वस्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध हो सके, इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उद्योग केन्द्रों की अधोसंरचना सुधार के लिये व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं। हमारी सरकार द्वारा पूर्व से संचालित स्वरोजगार

योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई हैं।

78. निवेश संवर्धन सहायता, औद्योगक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, स्वरोजगार योजनाओं आदि के लिये वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 1 हजार 781 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 691 करोड़ अधिक है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

79. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के सिर पर छप्पर हो, घर आंगन स्वच्छ हो, खुले में न शौच हो, निर्मल ग्राम हो, हाट हो, बाजार हो, पांव में न छालें हों, बारहमासी सड़कें हों, घर-घर में नीर हो, पौष्टिक आहार हो के कार्यों को पूर्ण करते हुये जन-जन की पीर को मिटाने का लक्ष्य ग्रामीण विकास की धुरी है।

80. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस योजना में वर्ष 2014-15 में अब तक 11 करोड़ मानव दिवस सृजित किये जाकर 27.16 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2015-16 के लिये 22 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

81. हमारा संकल्प है कि वर्ष 2018 तक खुले में शौच को समाप्त किया जाये। वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक 2.97 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2015-16 में 15.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तथा 300 ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जायेगा।

82. इंदिरा आवास योजनांतर्गत वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक 38 हजार 824 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा 1 लाख 55 हजार 434 आवासों का

निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2015-16 में इस योजनांतर्गत 1 लाख 15 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये आवास निर्माण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में वर्ष 2014-15 में अब तक ₹ 42.26 करोड़ उपलब्ध कराते हुए 4 हजार 136 आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा 1 हजार 901 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को देखते हुये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत आवासों के लिये हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2015-16 में 1 लाख 50 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

83. गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिये ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्य आजीविका फोरम एवं विश्व बैंक पोषित डीपीआईपी योजनायें संचालित हैं। वर्ष 2014-15 में अब तक 16 हजार 871 स्वसहायता समूहों को ₹ 189 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है तथा 2 हजार 263 बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2015-16 में 4 लाख परिवारों को स्वसहायता समूहों से जोड़ना, 3 हजार 500 स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना तथा 90 हजार ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

84. ग्रामीण विकास के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति करने और ग्रामों के समग्र विकास हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 11 हजार 70 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति कल्याण

85. हमारी सरकार अनुसूचित जाति के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास हेतु कृत-संकल्पित है तथा इस वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के लिये अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

86. वर्ष 2014-15 में 179 नवीन प्री मैट्रिक एवं 13 नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं। प्री मैट्रिक छात्रावासों में 2 हजार अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण योजनांतर्गत 7 हजार 500 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी हेतु देश के उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों में 85 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता दी गई है। अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि ₹ 50 हजार से बढ़ाकर ₹ 2 लाख की गई है। विदेशों में अध्ययन करने हेतु दी जा रही आर्थिक सहायता के लिये विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या 10 से बढ़ाकर 50 की गई है।

87. शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये 8 नये प्रावीण्य उन्नयन छात्रावास प्रारंभ किये गये हैं जिनमें 542 प्रतिभावान विद्यार्थियों को कोचिंग एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2015-16 में 89 नवीन प्री मैट्रिक एवं 23 नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। प्री मैट्रिक छात्रावासों में एक हजार अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है।

88. अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विशेष उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 9 हजार

64 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 1 हजार 160 करोड़ अधिक है।

अनुसूचित जनजाति कल्याण

89. अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में वर्ष 2014-15 में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार के लिये विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित कर स्वावलम्बी बनाया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में लगभग 7 हजार युवा प्रशिक्षण योजना का लाभ ले रहे हैं।

90. बालिकाओं को उपयुक्त एवं सहज शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से न्यून साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में वर्ष 2014-15 में 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किए गए हैं। इन परिसरों में लगभग 5 हजार बालिकाएं कक्षा 6वीं से 12वीं तक की शिक्षा एवं आवासीय सुविधा निःशुल्क प्राप्त करेंगी। वर्ष 2015-16 में 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर और खोले जायेंगे एवं 40 कन्या शिक्षा परिसरों के भवन निर्मित किये जायेंगे। बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये ₹ 3 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वर्ष 2014-15 में कक्षा 11वीं में प्रवेशित लगभग 27 हजार बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई है।

91. शिक्षा के विस्तार हेतु वर्ष 2015-16 में 40 हाई स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक शाला में उन्नयन, 20 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन, 2 नवीन क्रीड़ा परिसर, 20 प्री मैट्रिक छात्रावास, 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा 10 आश्रम शालायें प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

92. विद्यार्थियों को मेडीकल एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिभागिता के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 100-100 विद्यार्थियों को

दो वर्ष की कोचिंग तथा 25-25 विद्यार्थियों को एक वर्ष की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाने हेतु नवीन योजना प्रारंभ की गई है।

93. अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 12 हजार 688 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 938 करोड़ अधिक है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

94. प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक हितग्राहियों के लिये प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग के उत्थान के कार्य किये जा रहे हैं।

95. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 950 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 121 करोड़ अधिक है।

सामाजिक न्याय

96. लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना के तहत् हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वंचित वर्गों को जीवन के सभी पड़ावों पर सहायता उपलब्ध कराने के ध्येय से कई कार्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं।

97. मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल के माध्यम से 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत पर चलते हुये प्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिकों, निःशक्तजनों के साथ-साथ विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों को पात्रता अनुसार हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे कि- पेंशन, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इत्यादि का लाभ प्रदाय

किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के सुखद परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। राज्य की 10 योजनाओं में हितग्राहियों को राशियों का वितरण अब सीधे उनके बैंक खाते में समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2014-15 में अब तक 1 करोड़ 6 लाख 65 हजार 444 संव्यवहारों के माध्यम से पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा योजनान्तर्गत मजदूरी भुगतान आदि से संबंधित ₹ 7 हजार 396 करोड़ की राशि का भुगतान हितग्राहियों के खातों में किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत वर्ष 2006 से एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2012 से अब तक 3 लाख 9 हजार 658 कन्याओं का विवाह एवं निकाह संपन्न किये जा चुके हैं।

98. वर्ष 2015-16 में सामाजिक न्याय विभाग हेतु ₹ 1 हजार 359 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

खाद्यान्न सुरक्षा

99. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में प्रदेश के लगभग 117 लाख परिवारों को ₹ 1 प्रति किलोग्राम गेहूँ, चावल तथा मक्का उपलब्ध कराया जा रहा है।

100. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को नवम्बर, 2014 से प्रतिमाह 12 किलो 500 ग्राम खाद्यान्न ₹ 5 प्रति किलोग्राम के स्थान पर ₹ 1 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के 73 हजार 545 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1 लाख 68 हजार 159 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

101. वर्ष 2015-16 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु ₹ 1 हजार 314 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग

102. गाँवों से शहरों की ओर पलायन को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहित किया जाये। प्रदेश की चंदेरी, महेश्वरी, बाग जैसी विशिष्ट विधायें एवं पारंपरिक कला राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाये हुये हैं।

103. प्रदेश में मलबरी रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में मलबरी रेशम उत्पादन अंतर्गत 24 हजार 940 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

104. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 316 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 23 करोड़ अधिक है।

वन

105. प्रदेश के बिगड़े वन क्षेत्रों का सुधार कर उसमें वन्य प्राणी आधारित पर्यटन गतिविधियों के विकास हेतु निजी पूंजी निवेश आकर्षित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। इसके लिये भारत सरकार की सहमति प्राप्त करने हेतु एक अवधारणा पत्र केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को प्रेषित किया गया है। प्रदेश के टाइगर रिजर्व का विकास करने हेतु आवश्यक अधोसंरचना विकास एवं वन्य प्राणियों के रहवास के विकास के कार्य भी प्रारंभ किये गये हैं। इससे प्रदेश में वन्य प्राणियों पर आधारित पर्यटन की गतिविधियों का विस्तार होगा।

106. वन विभाग हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 2 हजार 698 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

पर्यटन

107. हमारा प्रदेश विविधतापूर्ण आकर्षणों एवं बहुमूल्य विरासत के कारण पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। हमारी सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखते हुये पर्यटन अधोसंरचना तथा सुविधाओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

108. पर्यटन क्षेत्र में निवेश का ही परिणाम है कि जहां कैलेण्डर वर्ष 2013 में प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 6.34 करोड़ थी, कैलेण्डर वर्ष 2014 में, अक्टूबर, 2014 तक ही यह संख्या 5.55 करोड़ हो गई है।

109. अंतर्राज्यीय वायु सेवाओं को प्रोत्साहन देने, पर्यटन अधोसंरचना एवं धार्मिक पर्यटन तथा साहसिक खेलकूदों को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2015-16 में ₹ 134 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

संस्कृति

110. देश के हृदय स्थल में स्थित होने के कारण हमारा प्रदेश विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुये है। हमने निरंतर इन संस्कृतियों को सहेजा है, संवारा है एवं विकसित होने के पूर्ण अवसर दिये हैं। हमारी सरकार की सभी संस्कृतियों के लिये मंशा रही है कि 'गंध की तरह बिखरो, पसर जाओ धूप की तरह'। भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये खंडवा एवं विदिशा में टैगोर कला संकुल की स्थापना की जाना प्रस्तावित है।

111. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के लिये गौरव की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय साँची में स्थापित है जिसमें जैन, बौद्ध, सनातन आदि धर्मों के अध्ययन के साथ-साथ शोध का कार्य भी किया जा रहा है।

112. प्रदेश में सांस्कृतिक चेतना बनाये रखने के लिये समय-समय पर महत्वपूर्ण उत्सव एवं समारोह आयोजित किये जा रहे हैं। इस वर्ष दिसम्बर, 2014 तक आवर्तन, मालवा उत्सव, ताप्ती महोत्सव, नर्मदा महोत्सव, शरदोत्सव, श्रीराम लीला उत्सव, राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण जैसे समारोहों का आयोजन किया गया है।

113. संस्कृति और धर्मस्व की दृष्टि से वर्ष 2015-16 हमारे लिये विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां इस वर्ष चरम पर पहुंचेंगी। पर्यटन-वर्ष होने के नाते भी संस्कृति के कार्यक्रमों और स्थलों को पर्यटन प्रोत्साहन से जोड़ा जायेगा। भारतीय संस्कृति की धार्मिक और आध्यात्मिक मनीषा को प्रदेश सरकार विभिन्न विमर्शों के जरिये एक बड़े फलक पर पेश करेगी। सिंहस्थ महाकुंभ की पूर्व-पीठिका के रूप में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उज्जैन में वर्ष-प्रतिपदा से लेकर अगले वर्ष कुंभ अंत तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक माह किये जायेंगे। इसे देखते हुये कार्यक्रमों की मद मे राशि का बड़ा प्रावधान किया गया है।

114. सांस्कृतिक एवं पुरातत्विक गतिविधियों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 142 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

115. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के वृद्धजनों को प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की योजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में अब तक लगभग 2 लाख 42 हजार वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है। वर्ष 2015-16 में 80 हजार वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा कराये जाने के लिये ₹ 85 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

116. वर्ष 2015-16 में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व हेतु ₹ 117 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 19 करोड़ अधिक है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

117. स्वर्णिम मध्यप्रदेश के लिये राज्य शासन द्वारा सुशासन को सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस को सुशासन का माध्यम बनाया जाकर, नागरिकों के द्वार पर सेवायें त्वरित, पारदर्शी, सुविधापूर्ण एवं इलेक्ट्रानिक रूप में पहुंचाई जा रही हैं। प्रदेश में विकसित सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अधोसंरचना स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क आदि का उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सूचनाओं के संग्रहण एवं आदान-प्रदान में किया जा रहा है।

118. प्रदेश के चार महानगरों में आई. टी. पार्कों तथा इलेक्ट्रानिक मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण हेतु जिलों में क्षेत्रीय दक्षता संवर्धन केन्द्रों की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। प्रदेश में अत्याधुनिक तकनीक से माइक्रो-चिप निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये नई एनालॉग सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है।

119. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 218 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

खेल एवं युवक कल्याण

120. खेलकूद में भागीदारी से समूह में कार्य करने, सद्भाव व सहयोग, अनुशासन तथा नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। हमारी सरकार ने इसे दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के खिलाड़ियों एवं युवाओं के लिये कई प्रोत्साहनकारी एवं कल्याणकारी योजनायें संचालित की हैं जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये हैं।

121. मुझे सदन को बताते हुये हर्ष हो रहा है कि इंचियोन में आयोजित सत्रहवें एशियन गेम्स शूटिंग प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी वर्षा बर्मन द्वारा डबल

ट्रेप टीम इवेन्ट में कांस्य पदक अर्जित किया गया है। वर्ष 2014-15 में मध्यप्रदेश राज्य अकादमी ग्वालियर द्वारा मैसूर ओपन राष्ट्रीय महिला हाकी चेम्पियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कयाकिंग केनोइंग प्रतियोगिता में भी मध्यप्रदेश ओवर आल चेम्पियन रहा है। हाल ही में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों ने प्रदेश को गौरवान्वित करते हुये 91 पदक हासिल किये हैं एवं प्रदेश पदक तालिका में पूर्व राष्ट्रीय खेलों में प्राप्त आठवें स्थान से ऊपर उठते हुये छठवे स्थान पर रहा है।

122. 'माँ तुझे प्रणाम' योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान 6 दलों को सीमा पर सैन्य गतिविधियों से अवगत कराने के लिये क्रमशः वाघा बार्डर, कारगिल, हुसैनीवाला, लोंगोंवाल आदि स्थानों का भ्रमण कराया गया है। हमारा यह विश्वास है कि इन प्रयासों से प्रदेश के युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण, साहस की भावना, सेना तथा सुरक्षा बल के प्रति आकर्षण पैदा होगा।

123. खेल गतिविधियों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 199 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 25 करोड़ अधिक है।

परिवहन

124. हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 2 लाख चालक तथा परिचालकों के कल्याण हेतु चालक एवं परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्रामीण परिवहन सेवा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत होने वाले वाहनों पर रियायती दर से वाहन कर लिया जा रहा है। प्रदेश में बस स्टैण्ड के विकास, मार्गों के युक्तियुक्तकरण तथा परिवहन क्षेत्र में

आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया गया है।

125. वर्ष 2015-16 में परिवहन विभाग हेतु ₹ 140 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

राजस्व

126. प्रदेश के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं भूमि नक्शों के डिजिटाईजेशन का कार्य चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के सभी तहसील के अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया गया है। कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों के ऑनलाईन मॉडीफिकेशन तथा अपडेशन हेतु वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन लागू की जायेगी जिससे रियल टाईम अपडेटेड भू-अभिलेख जनता को उपलब्ध हो सकेंगे।

127. वर्ष 2015-16 में राजस्व विभाग हेतु ₹ 3 हजार 398 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

सुशासन

128. प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये पृथक लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनता की शिकायतों के निराकरण की सतत समीक्षा की जाती है। प्रदेश में संचालित सी. एम. हेल्प लाईन जनता की शिकायतों के समुचित निराकरण में प्रभावी एवं सफल रही है। इस सफलता से उत्साहित होकर इसे और विस्तृत बनाने एवं अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिये ₹ 300 करोड़ की सर्व सेवा परियोजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। इस योजनांतर्गत सिंगल सर्विस डिलेवरी गेटवे, कलेक्टर कार्यालय के बेक-एण्ड आफिस ऑटोमेशन, अन्य विभिन्न

प्रकार की दी जाने वाली सेवाओं के प्रमाण पत्रों के लीगेसी डाटा का डिजिटाईजेशन आदि कार्य किये जायेंगे।

129. वित्तीय समावेशन, सुशासन का अभिन्न अंग है। वित्तीय समावेशन के कार्य को आगे बढ़ाते हुये प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत ऐसे सभी 49 लाख 47 हजार परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं जो अब तक बैंक से लेन-देन नहीं करते थे। प्रदेश के सभी परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा इस योजनांतर्गत अब तक 91 लाख रूपे कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

130. राज्य कोष में राशियां जमा करने को सुविधाजनक बनाये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग अंतर्गत संचालित वेब साईट www.mptreasury.org पर माह सितम्बर 2014 से साईबर ट्रेजरी में रियल टाईम चालान जनरेशन की सुविधा लागू की गई है। ऐसे जमाकर्ता जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, को ₹ 10 हजार तक की राशि एमपी ऑन लाईन कियोस्क के माध्यम से शासकीय खाते में जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है।

131. राष्ट्र के हृदय स्थल में स्थित 308 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ मध्यप्रदेश विपुल एवं विविध खनिज भंडारों से परिपूर्ण है। प्रदेश के औद्योगिक विकास में इन खनिजों की भागीदारी उल्लेखनीय है। खनिज संसाधन से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिये ई-खनिज परियोजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

न्याय प्रशासन

132. न्याय का सिद्धांत है कि न्याय तत्परता से प्राप्त हो। न्यायालयों के समक्ष लाये गये प्रकरणों के सामयिक निराकरण से न्याय व्यवस्था तथा सरकार पर जनता का विश्वास दृढ़ होता है। न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकारियों के कार्यालयों एवं आवासों की व्यवस्था के

लिये राज्य शासन प्रतिवर्ष आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2015-16 में अधोसंरचना निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु ₹ 160 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिये 200 नवीन पदों का सृजन किया गया है।

133. विधि एवं विधायी कार्यों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 842 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्रमिक कल्याण

134. 'श्रमेव जयते' शब्दों के साथ श्रम को मेरा प्रणाम है। श्रम में शारीरिक के साथ-साथ मानसिक श्रम का भी अवयव सम्मिलित रहता है। हमारी सरकार ने श्रमिकों को कौशल से जोड़ने का प्रयास किया है, उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां ली हैं, उनकी स्वाभाविक प्रतिभा, रुचि व क्षमता को रचनात्मक दिशा दी है।

135. प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में नवीन तकनीक के उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित है जिससे प्रदेश के श्रमिक जगत को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें मिल सकेंगी। इस हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 7 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। संन्निर्माण कर्मकार मंडल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के लिये चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रतिवर्ष ₹150 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

136. श्रम विभाग के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 182 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 36 करोड़ अधिक है।

कानून व्यवस्था

137. प्रदेश में शांति, सद्भाव एवं कानून की बेहतर स्थिति का यह ठोस प्रमाण है कि प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार के विस्तार का सकारात्मक वातावरण बना है। हमारी सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि पुलिस की भूमिका, अपराधियों को दण्डित कराने तक ही सीमित न रहकर, अपराध की रोकथाम के लिये भी प्रभावशाली रूप से हो।

138. दृष्टिपत्र-2018 को ध्यान में रखते हुये पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी एवं उत्तरदायी बनाने के साथ ही प्रत्येक नागरिक की सूचना पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डायल-100 योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का आकार बढ़ाकर ₹ 632 करोड़ किये जाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों के संचालन एवं निशाने बाजी में निपुण बनाये रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे जिले जहां फायरिंग रेंज उपलब्ध नहीं है उन जिलों में फायरिंग रेंज बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है। वर्ष 2014-15 में पुलिस बल के लिये 5 हजार अतिरिक्त पदों का निर्माण किया गया है।

139. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि अपराधियों को कैदियों के रूप में निरूद्ध करते हुये उन्हें पर्याप्त दण्ड दिया जाये परंतु दूसरी ओर मानवीय पक्ष यह भी है कि इन निरूद्ध बंदियों के लिये समय-समय पर परिवार के सदस्यों से संवाद की व्यवस्था प्रारंभ की जाये। संवाद व्यवस्था प्रारंभ किये जाने के फलस्वरूप कैदियों की भावनाओं में सकारात्मक परिवर्तन संभावित है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जेल में निरूद्ध कैदियों के लिये सीमित बाहय दूरभाष सुविधा उपलब्ध करायी जाये। इस हेतु वर्ष 2015-16 में नवीन योजना प्रस्तावित है। केन्द्रीय जेल भोपाल में महिला औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ केन्द्रीय जेल उज्जैन में भी नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

140. गृह तथा जेल विभाग के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 5 हजार 654 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 607 करोड़ अधिक है।

<u>शासकीय सेवकों को सुविधायें</u>

141. हमारी सरकार द्वारा निरंतर शासकीय सेवक हितैषी निर्णय लिये गये हैं। राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को उनके संपूर्ण शासकीय सेवाकाल में न्यूनतम 3 उच्चतर समयमान वेतनमान दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे यह अवगत कराते हुये हर्ष है कि राज्य की महिला शासकीय सेवकों को पूरे सेवाकाल में 730 दिवस का शिशु पालन अवकाश दिया जाना प्रस्तावित है।

142. प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों को उपलब्ध कराई जाने वाली वर्दी की सिलाई की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। नगर सेना के कंपनी कमाण्डर मेजर, कंपनी क्वाटर मास्टर, स्वयं सेवा प्लाटून कमाण्डर, स्वयं सेवा कंपनी कमाण्डर, हवलदार, नायक, लांस सैनिक, सैनिक के मानवेतन तथा भोजन राशि में क्रमशः 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की जाना प्रस्तावित है।

143. अंशकालिक लिपिक, अंशकालिक भृत्य, अंशकालिक सफाई कामगार को प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इस वृद्धि के परिणामस्वरुप उन्हें क्रमशः मासिक ₹ 5000, ₹ 4000 एवं ₹ 2000 प्राप्त होंगे।

144. राज्य के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के द्वारा पेंशन वितरण कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता के विकल्प के रूप में

ऑन लाईन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रांरभ की गई है। इस सुविधा का लाभ पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों द्वारा देश-विदेश के किसी भी स्थल से लिया जा सकता है।

<u>पुनरीक्षित अनुमान 2014-15</u>

145. पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 1 लाख 4 हजार 621 करोड़ तथा राजस्व व्यय ₹ 98 हजार 249 करोड़ है। आयोजनेतर व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 65 हजार 725 करोड़ तथा आयोजना व्यय का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 52 हजार 791 करोड़ है। राजस्व आधिक्य का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 6 हजार 371 करोड़ है। राजकोषीय घाटे का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 13 हजार 869 करोड़ है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत होने से वर्ष 2014-15 के लिये निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा में है।

बजट अनुमान 2015-16

राजस्व प्राप्तियां

146. वर्ष 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 1 लाख 14 हजार 422 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य करों से प्राप्तियां ₹ 43 हजार 447 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश के हिस्से के अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 30 हजार 449 करोड़ इस प्रकार कुल कर राजस्व ₹ 73 हजार 897 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियां ₹ 10 हजार 124 करोड़ तथा केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान अंतर्गत प्राप्तियां ₹ 30 हजार 401 करोड़ अनुमानित है।

आयोजना एवं आयोजनेतर व्यय

147. वर्ष 2015-16 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान ₹ 60 हजार 348 करोड़ है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये ₹ 12 हजार 688 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये ₹ 9 हजार 64 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित आयोजना व्यय कुल व्यय का 45.99 प्रतिशत है। पूंजीगत परिव्यय ₹ 22 हजार 364 करोड़ प्रस्तावित है। आयोजनेतर व्यय का अनुमान ₹ 70 हजार 850 करोड़ है।

शुद्ध लेन-देन

148. वर्ष 2015-16 की कुल प्राप्तियां ₹ 1 लाख 30 हजार 815 करोड़ तथा कुल व्यय ₹ 1 लाख 31 हजार 199 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन ऋणात्मक ₹ 383 करोड़ एवं अंतिम शेष ऋणात्मक ₹ 513 करोड़ का अनुमान है।

राजकोषीय स्थिति

149. कुल राजस्व व्यय ₹ 1 लाख 8 हजार 834 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 1 लाख 14 हजार 422 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य ₹ 5 हजार 587 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2015-16 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान ₹ 16 हजार 745 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत अनुमानित है जो मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित सीमा में है।

भाग - दो

अध्यक्ष महोदय,

हमारे शास्त्रों में कहा गया है :

" विभावयितु मृद्धीनां फलं सुहदनुग्रहम् " ।

अर्थात् समृध्दि बढ़ने का परिणाम यह होता है कि सज्जनों का हित करने की क्षमता आ जाती है। इसे ही दृष्टि में रखकर हमने राज्य सरकार के संसाधन बढ़ाने के प्रयास किये हैं ताकि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सफलतापूर्वक वित्तपोषण हो सके।

2. हमारी सरकार कर प्रशासन को पारदर्शी एवं करदाताओं के लिए अधिक से अधिक सरल बनाने हेतु लगातार प्रयासरत रही है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रशासित कराधान प्रणालियों के कम्प्यूटरीकरण के उत्साहवर्धक परिणाम मिले हैं। इस वर्ष लगभग 13 लाख इलेक्ट्रानिक रिटर्न प्रस्तुत किए गये हैं। विभागीय वेबपोर्टल से ई-पेमेंट के माध्यम से इस वर्ष जनवरी, 2015 तक ₹ 8536 करोड़ जमा हुए हैं । इस वर्ष जनवरी, 2015 तक व्यवसाईयों द्वारा लगभग 21 लाख फार्म 49 एवं लगभग 5.50 लाख अन्य वैधानिक फार्म डाउनलोड किए गए हैं।

3. कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के उन्नयन एवं उसके माध्यम से अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। व्यवसाईयों द्वारा डाउनलोड किए गए घोषणा पत्रों की सूचना, घोषणा पत्रों की संख्या की सीमा में परिवर्तन, घोषणा-पत्रों के आवेदनों पर लिए गए निर्णयों आदि की सूचना एस.एम.एस. से भी दी जा रही है। इस सुविधा के माध्यम से अब तक 1 करोड 19 लाख एस.एम.एस. व्यवसाईयों को किए जा चुके हैं। करदाताओं की सुविधा

के लिए "एमपी वेट पब्लिक" मोबाईल एप्लीकेशन लॉंच किया गया है, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसके माध्यम से व्यवसाई फार्म 49, 50, 60 डाउनलोड कर सकते हैं एवं इन फार्मो का सत्यापन भी कर सकते हैं। इस मोबाईल एप्लीकेशन में विभाग द्वारा जारी किए गए वैधानिक फार्मो जैसे सी, एच, एफ, ई-1, ई-2 आदि का सत्यापन किया जा सकता है। इसके साथ ही इस मोबाईल एप्लीकेशन से रिटर्न की स्थिति एवं विभाग में प्रस्तुत आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात की जा सकती है। फार्म 49, 60 के विकल्प के रूप में एस.एम.एस. के माध्यम से **"ई-गतिमान"** प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके माध्यम से व्यवसाई बिना कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन के सामान्य मोबाईल से भी वे-बिल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। प्रदेश के बाहर से आने वाले तथा ट्रांस-शिपमेंट होकर अन्य राज्यों को जाने वाले ट्रांसपोर्टरों को ऑनलाईन इनरोलमेंट एवं वाहन संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। साथ ही ट्रांसपोर्टर अपने पासवर्ड को स्वतः अनलॉक कर सके यह सुविधा भी प्रदान की गई है। वापसी की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए **ई-रिफण्ड** की व्यवस्था लागू की गई है। अब वापसी की राशि सीधे व्यवसाई द्वारा दिये गये बैंक खाते में जमा की जा रही है। वाणिज्यिक कर मुख्यालय स्थित 'डाटा सेंटर' का विस्तार कर सर्वर का अपग्रेडेशन किया गया है। फलस्वरूप रिटर्न के माह में सर्वर स्लो हो जाने की समस्या का पूर्णतः निराकरण हो गया है। **वर्ष 2015-16 में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था के उन्नयन से अनेक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।** व्यवसाइयों को अंतर्राज्यीय व्यापार की दशा में वैधानिक फार्म को पोर्टल पर सतत् चढ़ाने की सुविधा दी जायेगी । व्यापारियों के सेल्फ असेसमेंट की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। कर निर्धारण आदेश, नोटिस आदि की तामीली ई-मेल के माध्यम से

की जायेगी। व्यापारियों एवं परिवहनकर्ताओं की सुविधा के लिये एक ट्रक में लोकल पर्चून माल के लिये " **सुपर ई-गतिमान** " नंबर दिये जाने का प्रावधान किया जायेगा। इसे व्यापारी, फार्म-49 के विकल्प के रूप में सुविधाजनक रूप से उपयोग कर सकेगें। व्यवसाईयों को देय कर आधिक्य (रिफण्ड) को प्रदाय करने के लिये कम्प्यूटरीकृत आटोमेटेड प्रोसेस लागू की जायेगी। व्यवसाईयों की सुविधा के लिये विभागीय मोबाइल एप्लीकेशन को एंड्राईड के अलावा अन्य प्लेटफार्म पर भी चलाये जाने का प्रावधान किया जायेगा। व्यवसाईयों, सप्लायर एवं ठेकेदारों को टी.डी.एस. सर्टिफिकेट दिए जाने की प्रोसेस को पूर्णतः ऑनलाईन किया जायेगा।

कराधान

वेट

4. वेट अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यापारी की एक इकाई से दूसरी इकाई, जिनके लिए पृथक-पृथक टिन लिया गया है, के अंतरण को भी विक्रय या क्रय माना गया है। ऐसी इकाईयों जिनके लिए पृथक-पृथक टिन लिए गए हैं, को किसी एक टिन में शामिल करने की स्थिति में, निरस्त पंजीयन से संबंधित इकाई की प्लांट एवं मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड तथा आगत कर रिबेट के आधिक्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु समुचित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

5. हमारी सरकार का संकल्प रहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए। इस हेतु हमारी सरकार द्वारा पूर्व में 34 हस्तचलित/पशुचलित कृषि यंत्रों के साथ-साथ कतिपय शक्तिचलित कृषि यंत्रों को भी करमुक्त किया गया है। इसी क्रम में अब निम्नलिखित शक्तिचलित कृषि यंत्रों को भी करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है :-

(1) लेजर लैंड लेवलर (2) सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल
(3) रीपर कम बाइंडर तथा स्ट्रॉ रीपर (4) रेक तथा श्रेडर

6. हमारी सरकार द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित जूते एवं चप्पल और उनके स्ट्रैप्स, जिनका खुदरा विक्रय मूल्य ₹ 250 से अधिक न हो, को कर से मुक्त किया गया था। स्थानीय उद्योगों एवं गरीबों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य में अब ऐसे निर्मित जूते एवं चप्पल और उनके स्ट्रैप्स जिनका खुदरा विक्रय मूल्य ₹ 500 से अधिक न हो, को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

7. आमजन द्वारा आवगमन हेतु बाईसिकल्स, ट्राईसिकल्स, साईकल रिक्शा का उपयोग किया जाता है, जिस पर 5 प्रतिशत वेट एवं 1 प्रतिशत प्रवेशकर देय है। अतः सामान्यजन की सुविधा एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से बाईसिकल्स, ट्राईसिकल्स, साईकल रिक्शा तथा उनके पुर्जों (टायर, ट्यूब सहित) एवं एसेसरीज को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

8. वर्तमान में शिक्षा में उपयोग की जाने वाली पाठ्य-पुस्तकों पर कोई कर देय नहीं है। इसी क्रम में प्रदेश के बच्चों की शिक्षा हेतु उपयोग की जाने वाली अभ्यास-पुस्तिकाओं, ग्राफ बुक्स, ड्राइंग बुक्स एवं लेबोरेटरी नोट बुक्स को भी करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

9. महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क से पूर्ण छूट दी जाना प्रस्तावित है।

10. वेट की दरों के युक्तियुक्तकरण के क्रम में निम्नलिखित वस्तुओं पर वेट की दर 13 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना प्रस्तावित है :

(1)	बेबी डायपर	5 प्रतिशत
(2)	हाईड्रोलिक ट्रॉली	5 प्रतिशत
(3)	असालिया	5 प्रतिशत
(4)	भाप (स्टीम)	5 प्रतिशत

(5)	हाई वोल्टेज आईसोलेटर्स (डिसकनेक्टर्स)	5 प्रतिशत
(6)	एल्युमिनियम कोलेप्सिबल ट्यूब	5 प्रतिशत
(7)	बैटरी चलित कार तथा बैटरी चलित रिक्शा	5 प्रतिशत
(8)	बायो फ्यूल से जलने वाला स्मोकलेस चूल्हा	5 प्रतिशत
(9)	ट्रेक्टर की ऐसेसरीज	5 प्रतिशत
(10)	गैस गीजर	5 प्रतिशत
(11)	सूखा ऑवला	5 प्रतिशत
(12)	डेन्टल फिलिंग मटेरियल	5 प्रतिशत
(13)	शैक्षणिक विज्ञान किट	5 प्रतिशत
(14)	पंपिंग सेट ऐसेसरीज	5 प्रतिशत
(15)	एलबम (फोटो एवं स्टांप एलबम)	5 प्रतिशत
(16)	एल्युमिनियम क्लेंप	5 प्रतिशत
(17)	ऑडियो टेप रिकॉर्डर एवं ऑडियो केसेट	5 प्रतिशत
(18)	बैग (स्कूल बैग)	5 प्रतिशत
(19)	बेकिंग पाउडर	5 प्रतिशत
(20)	हाथीदांत की चूड़ियॉं	5 प्रतिशत
(21)	केलकुलेटर	5 प्रतिशत
(22)	कार्बन पेपर	5 प्रतिशत
(23)	नालीदार शीट (कागज की)	5 प्रतिशत
(24)	इलेक्ट्रॉनिक खिलौने	5 प्रतिशत
(25)	खाद्य रंग एवं खाद्य संरक्षक	5 प्रतिशत

(26)	गैस चूल्हा	5 प्रतिशत
(27)	लेडिज हैंड बैग, पर्स एवं वेनिटी बैग	5 प्रतिशत
(28)	ताले एवं चाबियॉ	5 प्रतिशत
(29)	सोया मिल्क पाउडर	5 प्रतिशत
(30)	ग्लास दर्पण	5 प्रतिशत
(31)	रेजर एवं रेजर ब्लेड	5 प्रतिशत
(32)	शू पॉलिश एवं शू क्रीम	5 प्रतिशत
(33)	चरोटा बीज	5 प्रतिशत
(34)	एल्युमिनियम पावडर	5 प्रतिशत
(35)	कलोजी का तेल	5 प्रतिशत
(36)	लिक्विड नाइट्रोजन	5 प्रतिशत
(37)	ब्राह्मी	5 प्रतिशत
(38)	इंडक्शन चुल्हा	5 प्रतिशत
(39)	नाइट्रोजन, आर्गन तथा हीलियम गैस	5 प्रतिशत
(40)	एल्यूमिनियम कम्पोजिट पैनल	5 प्रतिशत

11. प्रदेश में विमानन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के दृष्टि से एवियेशन गैस पर वेट की दर को 13 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

12. प्रदेश के विकास कार्यो हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये निम्न उपाय प्रस्तावित हैं :-

(क) तंबाकू रहित समस्त प्रकार के पान मसालों एवं गुटके पर वेट की दर 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत की जाना प्रस्तावित है।

(ख) सभी प्रकार के सोया मील सहित डि-आईल्ड केक/कॉटन सीड आईल केक/ मस्टर्ड आईल केक/मक्का खली जो वर्तमान में करमुक्त हैं, को 1 प्रतिशत वेट की दर के अंतर्गत लाया जाना प्रस्तावित है।

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की अनुसूची 2 में करयोग्य मालों पर वेट की दर 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की जाना प्रस्तावित है।

(घ) माप के आधार पर वर्तमान में रेत, गिट्टी तथा फ्लोरिंग स्टोन पर अधिसूचित दर रेत/गिट्टी ₹ 20 को ₹ 35 प्रति घन मीटर तथा फ्लोरिंग स्टोन ₹ 1 / 50 पैसे एवं 25 पैसे को क्रमशः ₹ 2.50 / ₹ 1.50 एवं 75 पैसे प्रति वर्ग फीट किया जाना प्रस्तावित है।

(ङ) कर मुक्त मालों के निर्माण में उपयोग/उपभोग होने वाले कच्चे मालों तथा राज्य के बाहर स्टॉक ट्रान्सफर किये जाने वाले मालों पर कर का भार 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रवेश कर</u>

13. पेट्रोलियम पदार्थो के मूल्य में कमी आने से राज्य के बाहर से नेचुरल गैस सीएनजी सहित, जो पूर्व में गेल (गुना) से क्रय की जाती थी अब आयात की जा रही है, जिससे वेट नहीं मिल रहा है, अतः राज्य के बाहर से उपयोग/उपभोग हेतु नेचुरल गैस

सीएनजी सहित, के आयात पर बढ़ी हुई दर 10 प्रतिशत से प्रवेशकर लगाया जाना प्रस्तावित है, जिससे राजस्व में हो रही कमी की भरपाई की जा सके।

14. हैंडलूम कपड़ा निर्माता, खादी ग्रामोद्योग इकाईयों तथा पाठ्य-पुस्तक निगम को कच्चे माल, समाचार पत्रों के प्रकाशन हेतु अखबारी कागज, विनिर्माण हेतु लोहा तथा इस्पात एवं चमड़ा, खाली सिक्कों के निर्माण हेतु धातु, रिफाईनिंग हेतु क्रूड खाद्य तेल, ₹ 1 करोड़ से अनधिक वार्षिक क्रय वाले लघु उद्योगों हेतु तिलहन, बीड़ी, प्लास्टिक के वाटर स्टोरेज टैंक, टिंबर, क्लिंकर, शक्तिकरघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा एवं चाय के क्रय पर दी गई प्रवेशकर की रियायतों को वर्ष 2015-16 में भी यथावत रखा जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय विक्रय कर

15. तांबा, पीतल, कांसे, एल्यूमिनियम की शीट, सर्कल, लीफ स्प्रिंग, कॉपर वायर रोड, वायर वार, कॉपर कैथोड एवं क्वायन ब्लैंक आदि पर दी गई केन्द्रीय विक्रयकर की रियायतों को वर्ष 2015-16 में भी यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है।

मनोरंजन कर

16. पूर्व में 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व से स्थापित, गैर वातानुकूलित सिनेमाघर/नगर निगम सीमा के बाहर स्थित वातानुकूलित सिनेमाघर, जिसकी टिकिट ₹ 50 या उससे कम है, को मनोरंजन कर से छूट दी गई थी। अब इस छूट की सीमा को ₹ 100 तक बढाया जाना प्रस्तावित है। उपयुर्क्त छूट सिंगलेक्स सिनेमा घरों पर ही लागू होगी ।

17. स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा अपने नियमित सदस्यों हेतु आयोजित खेल गतिविधियों पर 10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर देय है। अब स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा अपने नियमित

सदस्यों हेतु आयोजित खेल गतिविधियों को मनोरंजन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

18. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को संरक्षित पुरातत्वीय स्मारक में "ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन" एवं "पेडल बोट से संचालित जल क्रीड़ा" के संबंध में अवधि 31/3/2015 तक मनोरंजन कर से दी गई छूट को वर्ष 2015-16 में भी यथावत् रखा जाना प्रस्तावित है।

<u>वृत्ति कर</u>

19. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 31/3/2015 तक वृत्ति कर से दी गई छूट को वर्ष 2019-20 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

<u>अन्य महत्वपूर्ण योजनायें</u>

20. मध्यप्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसके अंतर्गत दुर्घटना अथवा अन्य कारण से मृत्यु होने या अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता के साथ-साथ चिकित्सा/बच्चों की शिक्षा आदि के लिए भी आर्थिक सहायता दी जायेगी ।

21. आसूचनादाता/कर्मचारियों के लिए पुरस्कार योजना लागू की जाना प्रस्तावित है।

22. अपील बोर्ड की कार्यप्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया जाना तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

<u>पंजीयन एवं मुद्रांक</u>

23. संपत्तियों के पंजीयन में आम नागरिक को सुविधा देने की दृष्टि से " **संपदा** " नाम से ई-पंजीयन एवं ई-स्टांपिंग का कार्य प्रदेश के 5 जिलों में शुरु किया गया है। नये वित्तीय वर्ष से प्रदेश के शेष जिलों मे भी इसे आरंभ किया जायेगा।

24. वर्तमान में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरणों तथा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा निर्मित भवन/प्रकोष्ठ के विक्रय पत्र दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में EWS को शत्-प्रतिशत एवं LIG को 50 प्रतिशत छूट है। इसी प्रकार लीज दस्तावेजों में EWS को शत्-प्रतिशत छूट है। प्रदेश मे निम्न आय वर्गो के लिए आवास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि EWS के जैसे ही LIG वर्ग को भी उपरोक्त संस्थाओं तथा नगरीय निकायो के विक्रय एवं पट्टे संबंधी रजिस्ट्रियों में स्टाम्प शुल्क की शत्-प्रतिशत छूट प्रदान की जाए।

25. वर्तमान में शहरी गरीबो के लिए BSUP एवं IHSDP योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासीय मकानों के पट्टों पर केवल स्टाम्प शुल्क में ही छूट प्रदान की जा रही है, परंतु रजिस्ट्रीकरण फीस में कोई छूट नही है। विभिन्न नगरीय निकायों की मांग पर BSUP एवं IHSDP योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पट्टों की रजिस्ट्रीकरण फीस को घटाकर ₹ 1,000 करना प्रस्तावित है।

26. रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, केबल नेटवर्क पर विज्ञापन अथवा समाचार पत्र के अलावा अन्य मीडिया के अनुबंध करार पर कर राशि का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क (अधिकतम ₹ 25,000 तथा न्यूनतम ₹ 500) लगाया जाना प्रस्तावित है।

27. रिवाल्वर तथा पिस्टल के लायसेंस दस्तावेज पर ₹ 10,000 तथा इनके अतिरिक्त अन्य हथियारों के लायसेंस दस्तावेजों पर ₹ 2,000 का स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा। रिवाल्वर तथा पिस्टल लायसेंस के नवीनीकरण पर ₹ 5,000 का, तथा इनके अतिरिक्त अन्य हथियारों के लायसेंस नवीनीकरण पर ₹ 1,000 का स्टाम्प शुल्क लिया जाना प्रस्तावित हैं।

28. औद्योगिक इकाईयों के चालू समुत्थान (Going Concern) के रूप में हस्तांतरित प्लांट, मशीनरी एवं अन्य चल सम्पत्तियों के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम राशि को ₹ 10 करोड़ से बढाकर ₹ 25 करोड़ किया जाना प्रस्तावित है।

29. स्टाम्प अधिनियम के तहत स्थावर सम्पत्ति से संबंधित लीव एण्ड लायसेंस अथवा कंडक्टिंग लायसेंस के दस्तावेज पर अब पट्टा दस्तावेज के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है ।

30. विक्रय प्रमाण पत्र पर वर्तमान में क्रय धन की रकम पर स्टाम्प शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। अब यह स्टाम्प शुल्क, सम्पत्ति के बाजार मूल्य या इनमें से जो अधिकतम हो, पर लिया जाना प्रस्तावित है।

31. वर्तमान में वर्क कान्ट्रेक्ट के रुप में किसी विशिष्ट दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित नहीं किया जा रहा है। अतः वर्क कान्ट्रेक्ट दस्तावेज पर बैंक गारंटी दस्तावेज के समान ही स्टाम्प शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है।

हमने इस बजट के माध्यम से जनता को अधिकाधिक कर राहत देने का प्रयास किया है क्योंकि हम एक मजबूत सरकार के रूप में कार्य करना चाहते हैं न कि एक मजबूर सरकार की तरह। हमने प्रदेश की प्रगति के लिये बजट के माध्यम से विकास की सामर्थ्य और आवेग विकसित करने के प्रयास किये हैं । प्रदेश सरकार के सदस्य के रूप में ही नहीं बल्कि इस सम्मानित सदन के सदस्य के रूप में हम जनता के विश्वास के न्यासी हैं और विकास तथा जनकल्याण के लक्ष्यों को पूरा करना हम सभी का सम्मिलित दायित्व है। इसी कारण मुझे पूरा विश्वास है कि इस अर्थ-संकल्प को सदन के सहयोग एवं दिशा निर्देश के माध्यम से हम साकार रूप देकर मध्यप्रदेश के विकास

को नये उत्कर्ष पर ले जा सकेंगे। अंत में, इन पंक्तियों को, मध्य प्रदेश की जनता को समर्पित करते हुये, मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा।

"हर दिन सुदिन हो,
हर मास, मधुमास हो
हर घड़ी, हर पल हृदय में,
परम हर्ष, उल्लास हो।
हर कदम पर,
एक नई आशा, नया विश्वास हो ।"

जय भारत **जय मध्यप्रदेश ।**